न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन
COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES
विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस सं. 5253 / 1101 / 2015 — दिनांकः 18.08.2017

<u>के मामले में</u> :–

श्री कृष्ण कुमार यादव
ईमेल kkyadav4587@gmail.com — –वादी

बनाम

निदेशक,
अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान,
के.सी. मार्ग, बान्द्रा रिक्लेमेशन,
बान्द्रा(पश्चिम), मुंबई – 400 050
ईमेल ayjnihh@vsnl.com — –प्रतिवादी

सुनवाई की तिथि : 05.04.2017
उपस्थितः वादी उपस्थित नहीं हुए
डा. वी.पी. शाह, सहायक निदेशक प्रतिवादी की तरफ से

आदेश

श्री कृष्ण कुमार यादव, अस्थिबाधित छात्र ने उपरोक्त संस्थान में लिफ्ट संचालन और संबंधित समस्याओं से संबंधित शिकायत दिनांक 27.09.2015 निःशक्त व्यक्ति(समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत इस न्यायालय में दायर की ।

2. मामले को अधिनियम की धारा 59 के तहत इस न्यायालय के पत्र दिनांक 13.10.2015 द्वारा निदेशक, अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुंबई के साथ उठाया गया । प्रतिवादी को स्मरण पत्र दिनांक 14.01.2016 भी भेजा गया ।

3. निदेशक, अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान ने पत्र संख्या एनआईएचएच / बी–41() / 2016 / 4305 दिनांक 07.01.2016 द्वारा इस न्यायालय को सूचित किया कि लिफ्टमैन की सेवाएं दिनांक 17.01.2016 से सभी 30 दिन के लिए प्रातः 8.30 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक जारी रखी गई है। उक्त पत्र की प्रति वादी को इस न्यायालय के पत्र दिनांक 19.05.2016 द्वारा उनके टिप्पण हेतु भेजी गई ।

4. वादी श्री कृष्ण कुमार यादव ने अपने अपने रिज्वाईंडर दिनांक 31.05.2016 में उल्लेखित किया कि उनके द्वारा उठायी गई समस्या का समाधान करने की कोशिश की गयी है लेकिन वह लिफ्ट संचालन के तौर–तरीके से संतुष्ट नहीं है क्योंकि अनेक रविवार को लिफ्ट संचालनकर्ता के नहीं होने से लिफ्ट का संचालन बंद रहा और अभी भी कभी लिफ्ट संचालनकर्ता के नहीं होने पर कोई संचालन की कोई वैकल्पिक व्यवस्था अवकाश के दिन नहीं की गयी है।

5. प्रतिवादी के पत्र के संदर्भ में वादी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत रिज्वाईंडर के अध्ययन उपरान्त मामले में इस न्यायालय के पत्र दिनांक 17.03.2017 द्वारा दिनांक 05.04.2017 को 11.00 बजे सुनवाई निर्धारित की गई।

पृष्ठ 2

सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली–110001; दूरभाषः 23386054, 23386154; टेलीफैक्स : 23386006
Sarojini House, 6, Bhagwan Dass Road, New Delhi-110001 ; Tel.: 23386054, 23386154 ; Telefax : 23386006
E-mail: ccpd@nic.in ; Website: www.ccdisabilities.nic.in

(कृपया भविष्य में पत्राचार के लिए उपरोक्त फाईल / केस संख्या अवश्य लिखें)
(Please quote the above file/case number in future correspondence)

6. निर्धारित शेडयूल के अनुसार मामले को सुना गया ।

7. सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की तरफ से प्रस्तुत डा. वी.पी. शाह, सहायक निदेशक, अलीयावर जंग राष्ट्रीय श्रवण दिव्यांग संस्थान, नोयडा ने कहा कि शिकायतकर्ता अपने कोर्स की समाप्ति के बाद उक्त संस्थान छोडकर जा चुका है और लिफ्ट की सुविधा सभी दिन के लिए सुचारू कर दी गई है।

8. मामले को इस निर्देश के साथ बन्द किया जाता है कि संस्थान भविष्य में दिव्यांग विद्यार्थियों को भूतल में प्राथमिकता के आधार पर होस्टल की सुविधा मुहैया करवाये ।

(डा. कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन